2016 का विधेयक संख्यांक 11

# हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुखसुविधाएं) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

# हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुखसुविधाएं) विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड:


1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 7 का संशोधन।
3. धारा 8 का संशोधन।

2016 का विधेयक संख्यांक 11

# हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुखसुविधाएं) विधेयक, 2016

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियाँ, विशेषाधिकार और सुखसुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

**1.** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुखसुविधाएं) संशोधन अधिनियम, 2016 है ।

धारा 7 का संशोधन।

**2.** हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुखसुविधाएं) अधिनियम, 2006 की धारा 7 में, **"चालीस"** और **"पैंतीस"** शब्दों के स्थान पर क्रमशः **"पैंसठ"** और **"साठ"** शब्द रखे जाएंगे।

2007 का 1

धारा 8 का संशोधन।

**3.** मूल अधिनियम की धारा (8) की उपधारा (3) में, "उसके वेतन के दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर **"एक हजार पांच सौ रूपए प्रतिमास"** शब्द रखे जाएंगे।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा की सदस्य सुख–सुविधा समिति ने सदस्यों के वेतन और अन्य सुविधाओं में बढ़ौतरी करने की सिफारिश की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है । अतः सदस्यों और मन्त्रियों तथा मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय सचिवों के बीच एकरूपता बनाए रखने के लिए और हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुखसुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1) के उपबन्धों को हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अनुरूप लाने के लिए भी मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव की बाबत वेतन को क्रमशः 40,000/– रुपए और 35,000/– रुपए से बढ़ाकर 65,000/– रुपए और 60,000/– रुपए प्रतिमास करने और लाईसेंस फीस की कटौती, उसके वेतन के दस प्रतिशत के बजाए एक हजार पांच सौ रुपए प्रतिमास की दर से करने का भी विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

**(वीरभद्र सिंह)**
मुख्य मन्त्री ।

शिमला.....
तारीख.....2016

## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 और 3 अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 93.96 लाख रूपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा ।

---

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

---

## भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(जी.ए.डी.नस्ति संख्याः जी0ए0डी0 –सी (डी) 5–2/2016)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुखसुविधाएं) विधेयक, 2016 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को राज्य विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

**हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुखसुविधाएं) संशोधन, विधेयक, 2016**

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुखसुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

**(वीरभद्र सिंह)**
मुख्य मन्त्री ।

---

**(डॉ0 बलदेव सिंह)**
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला :
तारीख.....2016

**इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुखसुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1) के उपबन्धों के उद्धरण**

धाराएं:

7. **वेतन और भत्ते.**– मुख्य संसदीय सचिव प्रति मास चालीस हजार रुपए वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा जबकि संसदीय सचिव प्रतिमास पैंतीस हजार रुपए वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, संसदीय सचिव ऐसे प्रतिकरात्मक भत्ते तथा अन्य परिलब्धियां प्राप्त करने का हकदार होगा जैसी सदस्यों को अनुज्ञेय हैं ।

8. **निवास स्थान.**–(1) प्रत्येक संसदीय सचिव को, एक सुसज्जित गृह दिया जाएगा, जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा या ऐसे गृह के स्थान पर, निम्नलिखित दरों पर भता संदत्त किया जाएगा, अर्थात:–

| | |
|---|---|
| (क) मुख्य संसदीय सचिव | तीन हजार रुपए प्रति मास; और |
| (ख) संसदीय सचिव | दो हजार पांच सौ रुपए प्रति मास । |

(2) राज्य सरकार संसदीय सचिव को दिए गए गृह को उसे, संसदीय सचिव न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए, अधिभोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

(3) प्रत्येक संसदीय सचिव, उसे आबंटित सुसज्जित गृह के बारे में, उसके वेतन के दस प्रतिशत की दर से लाइसेंस फीस संदत्त करने का दायी होगा और वह उसके वेतन से प्रतिमास वसूलीय होगी।

**स्पष्टीकरण.**–संसदीय सचिव ऐसे किसी मामले में जहां उसको आवास के लिए आबंटित गृह का मानक किराया उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हो, किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा ।

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

BILL NO. 11 OF 2016

# THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY SECRETARIES (APPOINTMENT, SALARIES, ALLOWANCES, POWERS, PRIVILEGES AND AMENITIES) AMENDMENT BILL, 2016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

# THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY SECRETARIES (APPOINTMENT, SALARIES, ALLOWANCES, POWERS, PRIVILEGES AND AMENITIES) AMENDMENT BILL, 2016

ARRANGEMENT OF CLAUSES

**Clauses:**


1. Short title.
2. Amendment of section 7.
3. Amendment of section 8.

**Bill No. 11 of 2016**

# THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY SECRETARIES (APPOINTMENT, SALARIES, ALLOWANCES, POWERS, PRIVILEGES AND AMENITIES) AMENDMENT BILL, 2 016

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 (Act No. 1 of 2007).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty – seventh Year of the Republic of India as follow:—

**1.** This Act may be called the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Amendment Act, 2016. Short title.

**2.** In section 7 of the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006, for the figures and signs "**40,000/-**"and "**35,000/-**", the figures and signs "**65,000/-**" and "**60,000/-**" shall respectively be substituted. Amendment of section 7. 1 of 2007

**3.** In section 8 of the principal Act, in sub-section (3), for the figures, signs and words " **10% of his salary**", the words, figures and signs "Rs.**1500/-** per month" shall be substituted. Amendment of section 8.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Members Amenities Committee of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha has recommended to enhance the Salaries and other facilities to the Members which has been accepted. Thus, in order to maintain the uniformity amongst the Members and the Ministers and the Chief Parliamentary Secretaries and Parliamentary Secretaries and also to bring the provisions of the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 (Act No. 1 of 2007) in conformity with the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971), it has been decided to enhance salary in respect of the Chief Parliamentary Secretaries and Parliamentary Secretaries from Rs. 40,000/- and Rs. 35,000/- to Rs. 65,000/- and Rs. 60,000/- respectively and it has also been decided to deduct licence fee at the rate of Rs. 1500/- per month instead of 10% of his salary.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(VIRBHADRA SINGH)**
*Chief Minister.*

Shimla:
The _____,2016.

## FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 and 3 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 93.96 lac per annum approximately.

---

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

---

## RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(GAD File No. GAD-C (D) -5-2/2016)

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Amendment Bill, 2016, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

**EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE IMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY SECRETARIES (APPOINTMENT, SALARIES, ALLOWANCES, POWERS, PRIVILEGES AND AMENITIES) ACT, 2006 (ACT NO. 1 OF 2007) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL**

**Sections :**

7. **Salaries and allowances**.—A Chief Parliamentary Secretary shall be entitled to the salary of Rs. 40,000/- per month, while Parliamentary Secretary shall be entitled to salary of Rs. 35,000/- per month. In addition, the Parliamentary Secretary shall be entitled to compensatory allowance and other perquisites as are admissible to the Members.

8. (1) A Parliamentary Secretary shall be provided with a furnished house, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government or in lieu of such house, shall be paid an allowance at the following rates, namely:—

| | | |
|---|---|---|
| (a) | a Chief Parliamentary Secretary | Rupees three thousand per mensem; and |
| (b) | a Parliamentary Secretary | Rupees two thousand and five hundred per mensem |

(2) The State Government may allow a Parliamentary Secretary to continue in occupation of the house provided to him for a period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be a Parliamentary Secretary.

(3) A Parliamentary Secretary shall be liable to pay licence fee at the rate of 10% of his salary in respect of the furnished house allotted to him and the same shall be recoverable monthly from his salary.

**Explanation.**—A Parliamentary Secretary shall not become personally liable for any payment in case the standard rent of the house allotted to him for residence exceeds the amount specified in sub-section(1).